तेलंगाना में विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के भूमि आवंटन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) **ने तेलंगाना सरकार** द्वारा संसद सदस्यों (MP), विधान सभा सदस्यों (MLA), सिविल सेवकों और पत्रकारों वाली सहकारी समितियों को भूमि आवंटन को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत **समानता का उल्लंघन मानते हुए रद्द** कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने **रियायती दरों** पर विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को भूमि आवंटन की आलोचना की, जिसमें **हाशिये पर पड़े समुदायों** की अपेक्षा पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को तरज़ीह दी गई।
  - न्यायालय ने चेतावनी दी कि दुर्लभ भूमि संसाधनों के इस तरह के आवंटन से **असमानता** पैदा होती है और **घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों** में इसके व्यापक आर्थिक निहितार्थ होते हैं।
- निर्णय में इस नीति को **सत्ता का दुरुपयोग** बताया गया, जिससे नीति निर्माताओं और उनके साथियों को लाभ मिल रहा है, जबकि **"योग्य वर्गों"** की सहायता के नाम पर **सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग** किया जा रहा है।
  - **सत्ता का दुरुपयोग** किसी **विधायी निकाय** द्वारा की गई ऐसी कार्यवाहियों को संदर्भित करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में **संवैधानिक सीमाओं** या सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को याद दिलाया कि **राज्य नागरिकों के लिये ट्रस्ट के रूप में संसाधन रखता है** तथा उसके कार्यों का उद्देश्य चुनिंदा समूहों को लाभ पहुँचाने के बजाय **जनहित में** होना चाहिये।

और पढ़ें: मौलिक अधिकार (भाग- 1)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-quashes-telangana-land-allotment-to-privileged-groups